



क्रमांक /आई.टी.के. /स्था. /2015 /

कोरबा, दिनांक / /2015

### आदेश

इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कोरबा सोसायटी के मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित दिनांक 25/08/2015 की नोटशीट के तारतम्य में निम्नांकित अभ्यर्थियों को शैक्षणिक सत्र 2015 - 16 के विषम सेमेस्टरों के लिए निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अंशकालीन व्याख्याता के तौर पर सम सेमेस्टर सत्र की समाप्ति तक अथवा नियमित/संविदा नियुक्ति होने तक के लिए आई.टी कोरबा सेटअप के तहत संस्था में रिक्त पदों के विरुद्ध निम्न शर्तों के साथ अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र.	नाम	विभाग	संस्था में रिक्त पद के विरुद्ध
01.	सुश्री रश्मि शुक्ला	सिविल इंजी.	व्याख्याता
02.	श्री दिलीप कुमार मेहता	सिविल इंजी.	व्याख्याता
03.	सुश्री गरिमा सिंह	सिविल इंजी	व्याख्याता
04.	सुश्री पूजा राजवाड़े	सिविल इंजी.	व्याख्याता
05.	सुश्री पदमा रावत	सिविल इंजी	व्याख्याता
06.	श्री यशवंत नारायण कश्यप	सिविल इंजी	रीडर
07.	श्री प्रफुल्ल डिकसेना	सिविल इंजी.	रीडर
08.	श्री पीकेश कुमार	सिविल इंजी	व्याख्याता
09.	सुश्री नेहा अग्रवाल	क.सा.एण्ड इंजी.	व्याख्याता
10.	श्री नरेन्द्र कुमार देवांगन	क.सा.एण्ड इंजी.	व्याख्याता
11.	सुश्री प्रभजोत कौर	क.सा.एण्ड इंजी.	व्याख्याता
12.	सुश्री पायल सक्सेना	ई.ई.ई.	व्याख्याता
13.	सुश्री सोनिका सिंह	ई.ई.ई.	व्याख्याता
14.	श्री मनोज चन्द्र डे	ई.ई.ई.	रीडर
15.	सुश्री खुशबू यादव	ई.ई.ई.	रीडर
16.	श्री पंकज साहू	मैकेनिकल इंजी.	व्याख्याता
17.	श्री मीमो प्रसाद	मैकेनिकल इंजी.	व्याख्याता
18.	श्री विकास कुमार अग्रवाल	मैकेनिकल इंजी.	व्याख्याता
19.	सुश्री रीतू राठौर	मैकेनिकल इंजी.	व्याख्याता
20.	सुश्री पुष्पा राजवाड़े	विज्ञान एवं मानविकी (रसायन)	व्याख्याता
21.	श्रीमती जे. अरुणा राव	विज्ञान एवं मानविकी (अग्रंजी)	व्याख्याता

W

शर्तें :-

01. आई.टी. कोरबा के शासी निकाय की बैठक में प्राप्त अनुमोदन के परिपालन में नियुक्त व्याख्याता को पारिश्रमिक रूपये 300/- (रूपये तीन सौ मात्र) प्रति घंटे/पीरियेड की दर से दये होगा, जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 21000/- (रूपये ईक्कीस हजार मात्र) प्रतिमाह होगी। नियुक्त व्याख्याता को प्रति दिन शैक्षणिक कार्यावधि तक उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
02. उपरोक्त आदेश के आधार पर नियुक्त व्याख्याता के द्वारा पारिश्रमिक छोड़कर शासकीय सेवा में नियमितकरण, वरिष्ठता, उच्च वेतनमान आदि किसी प्रकार की न तो मांग और न ही किसी भी न्यायालय में दावा पेश किया जा सकेगा।
03. अंशकालीन व्याख्याता की सेवाएं आवश्यकता न होने की दशा में किसी भी समय अथवा अन्य आदेश जारी होने की स्थिति में तत्काल स्वमेव समाप्त हो जावेगी।
04. उपरोक्त आदेश की निर्गमन की तिथि से 07 दिवस के अंदर अपना पदभार ग्रहण न करने पर या लगातार 07 दिवस अनुपस्थित रहने की दशा में नियुक्त व्याख्याता की सेवाएं स्वमेव समाप्त मानी जावेगी। जिस दिन कक्षाएं होंगी उस दिन महाविद्यालयीन शिक्षण समय में उपस्थिति अनिवार्य होगा। यदि किसी कारण वश महाविद्यालय में उपस्थित नहीं हो पा रहे हों तो उसकी सूचना 01 दिवस पूर्व विभागाध्यक्ष/प्राचार्य को देना होगा।
05. उपरोक्त अंशकालीन/अतिथि व्याख्याता अपनी पारिश्रमिक देयक, अगले माह के 03 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखाशाखा में जमा करेगे। निर्धारित समय तक देयक प्रस्तुत नहीं करने पर भुगतान न होने की जिम्मेदारी संबंधित व्याख्याता की होगी।
06. नियुक्त व्याख्याता को शैक्षणिक गतिविधियां, प्राचार्य के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप एवं अपने विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार उनके अधीन कार्य संपादित करना होगा।

प्राचार्य  
इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी,  
कोरबा छ0ग0

पृ0 क्रमांक/आई.टी.के./स्था./2015/1625

कोरबा, दिनांक 29/8/2015  
26

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, (माननीय अध्यक्ष महोदय), छ.ग. शासन, राजस्व, आपदा एवं पुनर्वास, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, छ0ग0 शासन, रायपुर, छ0ग0। की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. विभागाध्यक्ष, सिविल इंजी./क. साइंस एण्ड इंजी./मैके.इंजी./ई.ई.ई./विज्ञान एवं मानविकी विभाग आई. टी. कोरबा।
3. प्रभारी अधिकारी (वेब साईट) संस्था के वेब साईट में उपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
4. लेखाशाखा आई.टी. कोरबा।
5. संबंधित .....

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्राचार्य  
इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी,  
कोरबा छ0ग0

S/C